प्रकाशन संख्या 518

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 508

परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000--01, 2001--02, 2002--03, 2006--07, 2007--08 एवं 2009-10 **(राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।**

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

वेबसाईट अपलोड
कृपया अविलंब

[illegible]
13/09/17

(9)

विषय–सूची

		पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2012–13	..	'क'
2. लोक लेखा समिति का वित्तीय वर्ष 2007–08	..	'ख'
3. लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) का गठन	..	'ग'
4. सभा सचिवालय के पदा0 / कर्मचारी / प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण ।	..	'घ'
5. प्राक्कथन ..	..	'ङ'
6. प्रतिवेदन ..	..	1–27

वर्ष		कंडिका	
2000–01	(रा0प्रा0)	5.03	1–2
2001–02	"	4.03	3–4
2001–02	"	4.04	5–6
2001–02	"	4.05	7–8
2002–03	"	4.4	9
2002–03	"	4.5	10
2002–03	"	4.5.1	11
2002–03	"	4.5.2	12
2006–07	"	4.6	13
2006–07	"	4.7	14–15
2007–08	"	4.2	16–21
2007–08	"	4.3	22–23
2007–08	"	4.7	24
2007–08	"	4.8	25
2009–10	"	4.11	26–28

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1.	श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

2.	डॉ० अच्युतानंद	स०वि०स०
3.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
4.	श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
5.	श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०
6.	श्री अभिराम शर्मा	स०वि०स०
7.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	स०वि०स०
8.	श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०
9.	श्रीमती उषा सिन्हा	स०वि०स०
10.	श्री कृष्णनन्दन यादव	स०वि०स०
11.	श्री जावेद इकबाल अंसारी	स०वि०स०
12.	श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स०वि०स०
13.	श्री नीरज कुमार	स०वि०प०
14.	श्री (मो0) हारूण रशीद	स०वि०प०
15.	श्री मंगल पाण्डे	स०वि०प०

'ख'

बिहार विधान–सभा सचिवालय

वित्तीय वर्ष 2007–08 (बारहवीं विधान–सभा)

लोक लेखा समिति

सभापति

1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी	स०वि०स०

सदस्यगण

2.	श्री हरिनारायण सिंह	स०वि०स०
3.	श्री दामोदर रावत	स०वि०स०
4.	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	स०वि०स०
5.	श्रीमती रेणु कुमारी (क्षे0 सं0 122)	स०वि०स०
6.	श्री रामेश्वर प्रसाद	स०वि०स०
7.	श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव	स०वि०स०
8.	श्री शोभा कान्त मंडल	स०वि०स०
9.	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा	स०वि०स०
10.	श्री रामदेव राय	स०वि०स०
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	स०वि०स०
12.	डॉ0 शम्भु शरण श्रीवास्तव	स०वि०प०
13.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स०वि०प०
14.	श्री रामचन्द्र प्रसाद	स०वि०प०
15.	श्री संजय सिंह	स०वि०प०

'ग'

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति (3) का गठन वर्ष 2012-13

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव — स०वि०स०

संयोजक

2. श्री मंजीत कुमार सिंह — स०वि०स०

सदस्यगण

3. श्री कृष्णनन्दन यादव — स०वि०स०
4. श्री नीरज कुमार — स०वि०प०

'घ'

बिहार विधान–सभा सचिवालय

श्री फुल झा	प्रभारी सचिव
श्री हरेराम मुखिया	प्रभारी संयुक्त सचिव
श्री चन्द्र भूषण पाठक	उप–सचिव
श्री रूप नारायण मिश्र	अवर–सचिव
श्री भूदेव राय	अवर–सचिव
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री उमाशंकर यादव	वरीय लिपिक
श्री राजीव रंजन III	कनीय लिपिक
श्रीमती संगीला कुमारी सिंह	कनीय लिपिक
श्री अरविंद कुमार दास	कनीय लिपिक
श्री रंजय कुमार	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री परवेज आलम	उप–महालेखाकार
श्री अतुल प्रकाश	उप–महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
श्री अरविंद कुमार	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव
श्री अशोक प्रियदर्शी	उप–सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2006–07, 2007–08 एवं 2009–10 (रा0प्रा0) की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0 508वाँ प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी, 2013 की बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अपने अथक परिश्रम देकर समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2013 (ई०) ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2000–01 की कंडिका 5.03 पृष्ठ 47 पर द्रष्टव्य ।

5.03 अभ्यर्पण में अन्तर्गस्त वाहनों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी निश्चित अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर-भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे, निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर-प्रतीक आदि से समर्थित हो। वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने योग्य है। उसे समय-समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी को अभ्यर्पण की अवधि विस्तार, यदि कोई हो, को बढाने हेतु वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) 2 जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर और मोतिहारी) में यह देखा गया (फरवरी और मार्च 2001) कि मार्च 1997 और अप्रैल 2000 के बीच 34 वाहनों के प्रलेख अनुपयोग की अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये थे। लेकिन अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरुद्ध विहित अवधि के समाप्त होने के बाद भी बिना अवधि विस्तार के लिए नये वचन पत्र के ही वाहनों को अभ्यर्पित रखा गया। अभ्यर्पण के छः महीने के बाद की अवधि विस्तार के लिए घोषणा पत्र के अभाव में वाहन मालिक अप्रैल 1997 और दिसम्बर 2000 की अवधि के लिए 14.45 लाख रुपये के कर का देनदार था।

इसे बताये जाने पर (फरवरी और मार्च 2001) संबंधित जि.प.प. ने कहा (फरवरी और मार्च 2001) कि अभ्यर्पण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

(ख) जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में यह देखा गया (फरवरी 2001) कि 17 मोटर वाहनों से जनवरी 1993 और दिसम्बर 2000 के मध्य पड़ने वाली विभिन्न अवधि के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ था जबकि कर भुगतान से छूट के आवेदनों को, वाहन के निर्दिष्ट स्थानों पर नहीं पाये जाने के कारण जैसा कि मोटर यान निरीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर रद्द कर दिया गया था (अप्रैल 1996 और दिसम्बर 2000 के मध्य)। इस प्रकार 12.15 लाख रुपये राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2001) जि.प.प.,भागलपुर ने कहा (फरवरी 2001) कि बकाये कर के उद्ग्रहण हेतु माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

विभागीय स्पष्टीकरण

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा 17 में विहित प्रावधान तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम 15 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रत्यर्पित वाहन का प्रत्यर्पण स्वीकार्य नहीं है तथा ऐसे वाहनों से अनियमित प्रत्यर्पण अवधि के लिए देय टैक्स जुर्माना सहित वसूल करने हेतु माँग पत्र निर्गत

किए गए हैं तथा नीलामपत्र वाद दायर किया गया है। जिन मामलों में अभी तक नीलाम पत्र दायर नहीं हुआ है, उनमें अविलंब नीलामपत्र वाद दायर करने का निदेश दिया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 13.6.2007 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि नीलाम वाद में लगभग 100 करोड़ का मामला फँसा हुआ है, चूंकि यह राजहित का मामला है इसलिए इसको त्वरित गति से कार्रवाई की जाय। परिवहन विभाग एक सुविचारित रणनीति बनाकर तीन माह के अन्दर अभियान चलाये और उसके अंतर्गत टैक्स की वसूली की जाय तथा एक अभियान चलाकर वसूली की जाय, कम्पोजिट चेक पोस्ट की गति को तेज किया जाय और जो रिक्तियाँ हैं जिनकी वजह से कार्य बाधित हो रहे हैं उनको अविलंब भरा जाय। इस निदेश की समीक्षा स्वयं मुख्य सचिव करें और समीक्षा करके समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करायें 'क' एवं 'ख' को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2001–02 की कंडिका 4.03 पृष्ठ सं0 36–37 पर द्रष्टव्य ।

4.03 वाहनों से कर वसूली नहीं होना

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट

का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर प्रतीक आदि से समर्थित हो। वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने के योग्य होगा। यदि कथित अवधि के विस्तार की जरूरत हो, वाहन मालिक को, संकलित करारोपण अधिकारी को अवधि विस्तार हेतु वचन पत्र जमा करना चाहिए।

(क) दो जिला परिवहन कार्यालयों (मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ) में यह देखा गया (अप्रील एवं अगस्त 2001 के बीच) कि 54 मोटर वाहनो के कागजात फरवरी 1998 एवं नवम्बर 2000 के बीच अभ्यर्पित किये गये परन्तु किसी भी वाहन मालिक द्वारा अवधि बढाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नहीं हुए। ऐसे वचनपत्र के अभाव में, वाहन मालिक अगस्त 1998 से अगस्त 2001 के बीच की अवधि के लिए 15.60 लाख रूपये के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इन्हें बताये जाने पर (अप्रैल और अगस्त 2001) जिला परिवहन अधिकारी (जि0 प0 अ0), पूर्णिया ने कहा (अप्रैल 2001) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जि0 प0 अ0 , मुजफ्फरपुर ने कहा (अगस्त 2001) कि मामलो की जाँच की जायेगी एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2002) है।

(ख) तीन जिला परिवहन कार्यालयों[3] में देखा गया (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच) कि जनवरी 1994 एवं सितम्बर 2001 के बीच की अवधि के लिए 23 मोटर वाहनो से कर की वसूली नही हुई यद्यपि जिला परिवहन अधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा अभ्यर्पण के आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिये गये थे। इसके फलस्वरूप 11.49 लाख रूपये राशि के कर की वसूली नहीं हुई।

इन्हें बताये जाने पर (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच), जिला परिवहन अधिकारी भागलपुर और पटना ने कहा (जुलाई 2000 और फरवरी 2001 के मध्य) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जि0 प0 अ0, रोहतास ने कहा (अक्टूबर 2001) कि जाचोपरांत उचित कारवाई की जायेगी। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए. हैं (नवम्बर 2002)।

विभागीय स्पष्टीकरण

4.3(क)

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ को स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया है ।

4.3 (ख)

1. जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास (सासाराम)-इस कंडिका में कुल 10 आपत्तिग्रस्त वाहनों जिसमें सन्निहित राशि 5,28322.00 रू0 है ।उसमें से 9 वाहनो पर निलामपत्र वाद दायर किया गया एवं 1 वाहन जिसका निबंधन संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के द्वारा निबंधन को रद्द कर दिया गया ।

2. जिला परिवहन कार्यालय, पटना- इस कंडिका में कुल 9 आपत्तिग्रस्त वाहनों में जिसमें सन्निहित राशि- 7,58,360.00 रू0 है । जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 8 वाहनों पर निलामपत्रवाद दायर किया गया राशि- 7,42,820.00 है ।

(ख) 1 वाहन पर डिमाण्ड नोटिश जारी किया गया राशि-15,540.00 है ।

4.3(ख)

1. जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर - इस कंडिका में कुल 5 आपत्तीग्रस्त वाहनो है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

(क) 2 वाहन से वसूल की गई राशि- 38,846.00 रू0 है ।

(ख) 2 वाहन पर निलामवाद दायर किया गया राशि- 1,05,122.00 रू0 है ।

(ग) 1 वाहन (बीआरआई/4223) कर माफी से संबंधित है, जिसमें सन्निहित राशि-16,893.00 रू0 है, जिसे कर माफी हेतु जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक 2595 दिनांक 14.06.2000 के द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को भेजा गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17-8-12 को बैठक में समिति द्वारा प्रधान महालेखाकार की राय एवं वित्त विभाग की सहमति से इस निदेश के साथ कि जिला परिवहन पदाधिकारी समय-समय पर नीलाम पदाधिकारी के साथ बैठक कर समिति को अवगत करायें इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2001–02 की कंडिका 4.04 पृष्ठ 38 पर द्रष्टव्य ।

4.04 वाहनों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का मोटर वाहन जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया–कलाप के लिए होता है 'आमनीवस' वाहन माना जाता है और तदनुकूल कर का आरोपण होता है। जुलाई 1994 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त (रा0 प0 आ0), बिहार के कार्यपालक निर्देशानुसार यह सुविधा उस संस्था को नहीं मिलेगी जिस संस्था को बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है। पुनः, राज्य सरकार द्वारा मई 1998 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सुविधा वापस ले ली गई थी तथा ऐसे वाहनों का कर उनके बैठने की क्षमता के आधार पर किया जाना था।

जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में देखा गया (सितम्बर 2001) कि 12 मोटर वाहन जो बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम में निबंधित नहीं थे, फिर भी उन्हे 'आमनीबस' माना गया और कम दर पर कर वसूले गये जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 1994 और अप्रील 2001 के बीच की अवधि के लिए 6.22 लाख रूपये के कर कम वसूले गये ।

इन्हें बताये जाने पर (सितम्बर 2001), जि0 प0 अ0 ने कहा (सितम्बर 2001) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

171

विभागीय स्पष्टीकरण

<u>जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर</u>:- इस कंडिका मे कुल 12 आपत्तिग्रस्त वाहन जिसकी राशि 599174.00 रु है जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

(क) 10 वाहन से वसूली- गई राशि 384777.00 रु है ।

(ख) 2 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 214397.00 रु है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 25.6.10 की बैठक में समिति द्वारा इसमें भी विभाग का जो रिपोर्ट है, उसमें बारह वाहन हैं और 10 वाहन से वसूली की गयी है। 2 वाहन पर निलाम पत्र दायर किया गया है तो इस संबंध में जो निलाम का दायर किया गया है तो उसकी अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाय इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2001–02 की कंडिका 4.05 पृष्ठ 38–39 पर द्रष्टव्य ।

4.05 अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों का निष्पादन

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी लेन–देन को अविलम्ब लेखे में लाना है एवं सभी प्राप्तियों को लोक–लेखे में जमा करा देना है। संबधित राज्यों से प्राप्य संयुक्त शुल्क विषय के बैंक ड्राफ्ट के लिए एक बैंक–ड्राफ्ट पंजी का संधारण करना है। राज्य परिवहन आयुक्त (रा0 प0 आ0) द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों में निहित राशि की उगाही के लिए राज्य सरकार ने कुछ राष्ट्रीयकृत बैंको को प्राधिकृत किया है। रा0 प0 आ0 के अनुदेशानुसार (मार्च 1996) अप्रैल से फरवरी के बीच बैंको द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार स्थानान्तरित करना है कि माह विशेष की सभी प्राप्तियाँ आनेवाले माह के प्रथम सप्ताह तक स्थानान्तरित हो जाय। जहाँ तक मार्च माह में जमा किये गये प्राप्तियों का प्रश्न है, इसे 31 मार्च तक स्थानान्तरित कर देना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा किये गये सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में स्थानान्तरित हो जाएँ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार (जून 1995) सरकार के लेखे में विलम्व से प्रेषण के लिए बैंको द्वारा 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज देय है।

(i) बैंक ड्राफ्टों के पुनर्वैधीकरण के अभाव में राजस्व का उदग्रहण नहीं होना

रा0 प्र0 आ0, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2002) में देखा गया कि अन्य राज्यों से संयुक्त शुल्क के 49.96 लाख रूपये से अर्न्तग्रस्त अप्रील 1994 और जनवरी 2001 के बीच की अवधि के 4911 बैंक ड्राफ्ट, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रा0 प0 आ0 कार्यालय को जनवरी 2002 में पुनर्वैधीकरण हेतु लौटाये गये, परन्तु विभाग द्वारा (मई 2002) वैधीकृत नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी लेखे में राजस्व का उदग्रहण नहीं हुआ।

(ii) बैंक शेष के विरूद्ध चेक का निर्गत नहीं होना

पटना में 27 बैंक है जहाँ संयुक्त शुल्क से संबधित बैंक ड्राफ्ट जो दूसरे राज्य/आर0 टी0 ए0 से प्राप्त होते है रा0 प0 आ0 द्वारा संग्रहण के लिए जमा किये जाते हैं। 31 मार्च 2002 तक 7 बैंकों में 2.19 करोड़ रूपये का अन्तशेष था। इसे सरकार के लेखे में जमा कराने तथा आर0 बी0 आई के अनुदेशानुसार 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने के लिए रा0 प0 आ0 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फलस्वरूप बैंकों को अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

(iii) बैंकों द्वारा राजस्व संग्रहण को जमा करने में बिलम्ब

संग्रहणकर्त्ता बैंकों ने संग्रहित राजस्व को एस0 बी0 आई0, सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकार के लेखे में विहित अवधि में जमा करने में विफल रहे और यह विलम्ब 1 महीना और 9 महीने से अधिक के बीच पाया गया। बैंकों द्वारा राजस्व को समय से जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रभावशाली उपाय करने में अक्षम रहा। इसके फलस्वरूप मई 2001 और फरवरी 2002 के बीच की अवधि के लिए ब्याज के रूप में 80.15 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

विभागीय स्पष्टीकरण

अन्य राज्यों से कम्पोजिट शुल्क के रूप में प्राप्त बिहार राज्य के बैंक ड्राफ्टों को कम्प्यूटर शाखा में इंट्री कराने के बाद समेकित रूप से इंडियन बैंक को उपलब्ध करा दिया जाता है । इंडियन बैंक से प्रतिमाह बैलेंस स्टेटमेंट प्राप्त कर समस्त राशि की निकासी कर शीर्ष -''0041-वाहनों पर कर''- में चेक के माध्यम से सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन प्रतिमाह जमा कर दी गयी है ।

वर्ष 1994 से 2007 के मध्य कुल 8178 स्टेल बैंक ड्राफ्टों में निहित लगभग 1.82 करोड़ रूपये की राशि में से कुल 1.70 करोड़ की राशि को रिवैलीडेट कराकर सरकारी खाते में जमा किया जा चुका है । शेष को रिवैलीडेट कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

वर्ष 2002 में ससमय शीर्ष ''0041'' में राशि जमा नहीं करने के कारण निर्धारित ब्याज नहीं मिलने के कारण हुई क्षति का प्रश्न है, के संबंध में कहना है कि सभी बैंकों को पूर्व में भी समय-समय पर यह निदेश दिया जाता है कि सभी बैंक प्राप्त राशि को शीर्ष ''0041'' में प्रत्येक माह निश्चित रूप से जमा करेंगे । (एनेक्चर-11पत्र) ।इस मामले पर बैंकों से ब्याज प्राप्त करने हेतु उन्हें अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ करने का विभाग द्वारा सूचना दी गई है । परिवहन विभाग के पत्रांक 2606 दिनांक 27.06.02 तथा पत्रांक 868 दिनांक 25.02.08 द्वारा सभी बैंको को इस संदर्भ में नोटिस भेजी गई है ।

संयुक्त शुल्क के लिए विभाग में पूर्व में सभी बैंको में खोले गये खाते को वर्ष 2008 से बंद कर दिया गया था ।वर्तमान में एक ही बैंक इंडियन बैंक में संयुक्त शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को जमा किया जाता है ।
इस बैंक में दिनांक 30.03.10 तक जमा हुए समस्त राशि को शीर्ष-''0041'' में 31.03.10 तक जमा कर दिया गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17.8.12 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर, महालेखाकार (आलोक में प्रयास) एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002–03 की कंडिका 4.4 पृष्ठ 40 पर द्रष्टव्य ।

4.4 अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना

राज्य परिवहन आयुक्त (रा. प. आ.), बिहार के द्वारा 12 जनवरी 1990 को जारी अनुदेशों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये वैसे वाहनों के मालिकों को सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभ्यर्पित कागजात वापस लेने सम्बन्धी सूचना भेजनी थी , अन्यथा अभ्यर्पण स्वतः अस्वीकृत हो जायगा तथा अर्थदंड सहित कर की वसूली उनसे की जायगी।

जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर में पाया गया कि वर्ष 1988–1989 के दौरान कर भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु पाँच मोटर वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किये गये। जि. प. प. ने कागजातों की जाँच के बाद जून 1996 में अभ्यर्पण को अस्वीकृत कर दिया परन्तु फरवरी 1990 से कर की वसूली नहीं किया। फलस्वरूप 7.42 लाख रुपये के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर जि. प. प. ने जुलाई 2002 में कहा कि वसूली हेतु माँग पत्र जारी किया जायगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)।

विभागीय स्पष्टीकरण

<u>जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर</u>- इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 5 है जिसकी राशि 213201.00 रु है । जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 1 वाहन का अद्यतन कर भुगतान 31.09.2011 तक है। जिसकी राशि 92252.00 रु० है।

(ख) 4 वाहन पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 117949.00 रु० है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21.12.2012 की बैठक में समिति द्वारा 'बकाये राशि की वसूली के फलाफल से समिति को अवगत कराने सम्बन्धी विभागीय जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया जाय।

(69)

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002–03 की कंडिका 4.4 पृष्ठ 40 पर द्रष्टव्य ।

4.4 अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत सभी लेन–देन को अविलम्ब लेखापित करना चाहिए तथा लोक लेखा में जमा करना चाहिए। सरकार द्वारा जून तथा नवम्बर 1978 में जारी अनुदेशों के अनुसार संग्रहणकर्त्ता बैंकों को करारोपण अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिकों द्वारा जमा कराया गया कर, फीस आदि की राशि का हस्तान्तरण भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.), सचिवालय शाखा, पटना में करना है। 1996 में जारी रा. प. आ. के अनुदेश के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा अप्रील से फरवरी तक बैंक में जमा कराये गये राशि का हस्तांतरण एस. बी. आई., सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार होना है कि पिछले माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह तक हस्तान्तरित हो जाये। पुनः मार्च माह में कराये गये सभी जमा राशि का हस्तान्तरण 31 मार्च तक अवश्य हो जाये ताकि एक वित्तीय वर्ष की सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खाता में हस्तान्तरित हो जाये। 1995 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सरकारी खाता में बिलम्बित जमा राशि पर 11.30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज बैंक द्वारा भुगतेय है।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. **जिला परिवहन कार्यालय पटना** – इस कंडिका के संबंध में सूचित किया है कि इस कार्यालय के कम्प्यूटर कोषांग के द्वारा संग्रहित कर एवं शुल्क पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान, पटना शाखा में जमा किया जाता था, जहाँ सरकारी खाते में राजस्व हस्तांतरित होने में विलम्ब होने के कारण पत्र सं0 2628 दिनांक 29.06.06 द्वारा निदेश दिया गया कि सभी राजस्व प्राप्तियों को अगले माह के प्रथम सप्ताह में तथा सभी राशियों को उसी वितीय वर्ष के 31 मार्च को हस्तांतरित कर दिया जाये ।इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति मे उपरोक्त प्रासंगिक खाता को बन्द कर दिया गया है एवं दिनांक 15.01.07 से इंडियन बैंक, बिस्कोमान भवन शाखा में जमा किया जा रहा है, एवं प्रत्येक माह में दो बार अन्तरण हेतु ट्रेजरी चलान के साथ चेक जमा किया जा रहा है ।

2. **जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी**– द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न वाहन मालिकों के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मधुबनी में शीर्ष-041 वाहन कर मद में जमा किये गये राशि को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में निश्चित रूपसे सरकार के खाता में अन्तरण कर दिया जाता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17.8.2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में किया विमर्श एवं प्रधान महालेखाकार की सहमति के उपरान्त इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

(68)

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002–03 की कंडिका 4.5.1 पृष्ठ सं0 40–41 पर द्रष्टव्य ।

4.5.1 सरकारी खाता में राजस्व का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण राजस्व की वसूली का नहीं होना

जि. प. प., पटना तथा रा. प. आ., बिहार, पटना के कार्यालयों में पाया गया कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 31 मार्च 2002 को 33.99 लाख रुपये तथा दो बैंकों में 31 मार्च 2003 को 2.86 करोड़ रुपये अन्त शेष था जिसका हस्तान्तरण एस.बी.आई. सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर, जि. प. प. पटना ने नवम्बर 2002 में कहा कि 30 मार्च 2002 को 32.40 लाख रुपये का एक चेक जारी किया गया फिर भी इसे 31 मार्च 2002 तक सरकारी खाता में हस्तान्तरित नहीं किया गया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि राशि चेक के माध्यम से 5 अप्रील 2002 को भेजी गयी थी। पुनश्च, रा. प. आ., पटना ने मई 2003 में कहा कि 2.14 करोड़ रुपये की शेष राशि के सरकारी खाता में हस्तान्तरण की प्रक्रिया चेक के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में संग्रहित राशि को सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में जमा करना होता है।

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपालन स्थिति
परिवहन विभाग के पत्रांक 2372 दिनांक 17.04.08 एवं पत्रांक 7361 दिनांक 12.12.08 के द्वारा सभी बैंको को ससमय राजस्व की राशि बिहार सरकार के खाते में स्थानान्तरित करने का निदेश दिया गया है । जिला परिवहन कार्यालय के राजस्व रू0 32.40 लाख के विलम्ब से सरकार के खाते में स्थानान्तरण के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17.8.2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर पर विचार किया और प्रधान महालेखाकार की सहमति के उपरांत इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002–03 की कंडिका 4.5.2 पृष्ठ सं0 41 पर द्रष्टव्य ।

4.5.2 ब्याज के रूप में राजस्व की हानि

जि. प. प., पटना तथा रा. प. आ., बिहार, पटना के कार्यालयों में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इन्डियन बैंक तथा कारपोरेशन बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2002–2003 में संग्रहित कर राशि का एस. बी. आई. सचिवालय शाखा, पटना में विहित समय के अन्दर सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में भेजने हेतु हस्तान्तरण नहीं किया गया। विलम्ब एक माह से सात माह के मध्य था। इस प्रकार ब्याज के रूप में 38.91 लाख रुपये सरकारी राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर जि. प. प., पटना ने नवम्बर 2002 तथा मई 2003 में कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा एवं रा. प. आ., बिहार, पटना ने कहा कि ब्याज की राशि जमा कराने हेतु संबंधित बैंकों को निर्देशित किया जा रहा है। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला में सरकार को सितम्बर 2003 प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा इस कंडिका के संबंध में सूचित किया है कि इस कार्यालय का कर एवं शुल्क की संग्रहित राशि पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान शाखा में जमा किया जाता था । सरकारी खाते में राशि विलम्ब होने के कारण अंकेक्षक द्वारा आपत्ती उठाये जाने पर पत्रांक 2682 दिनांक 29.06.06 के द्वारा निदेश दिया गया कि पिछले माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह में एवं वर्ष की सभी प्राप्तियाँ उसी वितीय वर्ष के 31 मार्च तक हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें । पश्चात् इसके उपरोक्त खाते को बन्द कर दिनांक 15.01.07 से सभी प्राप्तियाँ (राजस्व संग्रहण) इंडियन बैंक बिस्कोमान भवन शाखा में जमा किया जा रहा है एवं प्रत्येक माह में दो बार सरकारी खाते में राशि अन्तरण हेतु ट्रेजरी चालान के साथ चेक जमा किया जा रहा है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक - 17.8.2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर पर वित्त विभाग और प्रधान महालेखाकार की सहमति के उपरांत इस कंडिका को निष्पादित किया जाता ।

(88)

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2006–07 की कंडिका 4.6 पृष्ठ 37–38 द्रष्टव्य ।

4.6 टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो विहित कर का भुगतान करता है, को करारोपण पदाधिकारी इसके लिए विहित प्रपत्र में रसीद एवं टैक्स टोकन उपलब्ध कराएगा। पुनः करारोपण पदाधिकारी किसी मोटर वाहन से संबंधित वर्त्तमान अवधि का कर अथवा अर्थदण्ड, यदि कोई हो, तब तक स्वीकार एवं टैक्स टोकन निर्गत नहीं करेगा जब तक कि कर एवं देय अर्थदण्ड के बकाये का पूर्णरूपेण भुगतान/निपटारा न कर लिया गया हो।

जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कराधान पंजी के फरवरी 2007 में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2002 से अक्तूबर 2006 के अवधि से संबंधित बकाए कर एवं अर्थदण्ड वसूल किये बगैर, वर्तमान अवधि हेतु कर प्राप्त कर 19 परिवहन वाहनों को टैक्स टोकन निर्गत कर दिया। चूँकि किसी भी वाहन हेतु मूल कागजातों के अभ्यर्पण के पश्चात कर के भुगतान में छूट का दावा नही किया गया था, बकाए की वसूली किये बगैर वर्तमान कर की वसूली कर टैक्स टोकन निर्गत किया जाना अधिनियम का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप 5.32 लाख रुपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने फरवरी 2007 में बतलाया कि वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

---

[7] बेगुसराय एवं मुंगेर

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

01. जिला परिवहन कार्यालय शेखपुरा:– कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 19 है राशि 531697.00 रु0 है। सभी वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21.12.2012 की बैठक में समिति द्वारा इसमें राशि वसूली करके एवं इसके दोषी पदाधिकारी हों तो उनपर कार्रवाई करके विभाग समिति को अवगत करा दे इस शर्त के साथ निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2006–07 की कंडिका 4.7 पृष्ठ 38 द्रष्टव्य ।

4.7 स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटरवाहन नियमावली के साथ पठित मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने अक्तूबर 2003 में स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड योजना, जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, की शुरूआत की। ये प्रीपेड कार्ड, मालवाहकों के भार क्षमता पर आधारित भिन्न–भिन्न मूल्यों, जिसमें अधिक मालों के माप एवं मालों को उतारने तथा इसके भंडारण इत्यादि पर शुल्क भी सम्मिलित है, के थे। योजना एवं राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार उपरोक्त कार्ड अहस्तांतरणीय थे तथा बिहार में निबंधित वाहनों, जिनके पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट तथा टैक्स टोकन थे एवं अन्य राज्यों में निबंधित वैसे वाहन जिन्हें निम्नतम 28 दिन का राज्य में परिचालन हेतु अस्थायी परमीट प्राप्त थे, एक कैलेन्डर माह हेतु जारी करना था।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों* के स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड से संबंधित अभिलेखों की दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच नमूना जाँच में पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा तथा वैध परमिट सुनिश्चित किये बगैर 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न श्रृंखलाओं के 8,573 कार्ड, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अक्तूबर 2003 से नवम्बर 2006 की अवधि के दौरान निर्गत किये गये थे। स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड, किन वाहनों को निर्गत किये गये थे, का विवरण दर्शाने हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं था। इस प्रकार, स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के 8,573 स्पेशल एग्रीमेंट कार्डों का, परिवाहकों द्वारा विभिन्न वाहनों हेतु उपयोग के लिए, अनियमित निर्गमन किया गया था, जो सरकारी राजस्व के क्षरण को प्रश्रय देता है।

मामले इंगित किये जाने के बाद दो जिला परिवहन पदाधिकारियों* ने दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के बीच बतलाया कि मामले को पूर्ववर्ती जिला परिवहन पदाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने मार्च 2007 में कहा कि मामले की जाँच नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोतिहारी एवं सहरसा के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पदस्थ जिला परिवहन पदाधिकारी अभिलेखों की जाँच, कार्रवाई तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के समुचित उत्तर देने हेतु सक्षम प्राधिकारी थे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मई एवं जून 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय कम्प्युटर कोषांग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल एग्रीमेन्ट कार्ड का अनियमित निर्गमन के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

1. <u>जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर:-</u> माह अक्तुबर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि में कुल 4440 कार्ड के विरुद्ध 13500000.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) बैंक में जमा किये गये।

2. <u>जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी:-</u> माह अक्तुबर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि में कुल 4186 कार्ड के विरुद्ध 13746000.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख छियालीस हजार रुपये) बैंक में जमा किये गये।

3. <u>जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा:-</u> माह नवम्बर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि में कुल 298 कार्ड के विरुद्ध 299000.00 (दो लाख निनानवे हजार रुपये) बैंक में जमा किये गये।

इस तरह उक्त कंडिका में आपत्तिग्रस्त कार्ड की संख्या 8573 है जबकि कम्प्युटर कोषांग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल कार्ड की संख्या 8924 है। इसी तरह उक्त कंडिका में आपत्तिग्रस्त राशि 2.31 करोड़ जबकि इसके विरुद्ध 24080000.00 (दो करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार रुपये) बैंक में जमा किये गये।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2007–08 की कंडिका 4.2 पृष्ठ 39 पर द्रष्टव्य ।

4.2 मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार मे वाहन निबन्धित है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल के परिवर्तन की स्थिति मे, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते की पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पुनः निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिको को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्त्तों को पूरा कर लिया गया है। समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माँग पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है तथा माँग पत्र का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति मे विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड लगाया जाना है।

अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के बीच 37 जिला परिवहन कार्यालयों[1] के कराधान पंजियों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 1,320 परिवहन वाहन के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित 10.23 करोड़ रुपये के कर का भुगतान नहीं किया था फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियो ने दोषी वाहन मालिको से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। किसी भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख अभिलेख पर नहीं पाया गया। **इसके फलस्वरूप 200 प्रतिशत की दर पर 20.45 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित कुल 30.68 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।**

मामले इंगित किये जाने के बाद 34 जिला परिवहन पदाधिकारियों[2] ने अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय ने दिसम्बर 2007 मे कहा कि माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, भभुआ ने अक्तूबर 2007 में कहा कि नीलामवाद की कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

मामले सरकार को नवम्बर 2006 एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह कंडिका कुल 37 जिला परिवहन कार्यालय से संबंधित है जिसमें 1320 आपत्तिग्रस्त वाहन का मामला है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

1. जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 20 है जिसमें सन्निहित राशि 1543503.00 रू0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 154824.00 है।

(ख) 18 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1388679.00 रू0 है।

2. जिला परिवहन कार्यालय नवादा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 41 है जिसमें सन्निहित राशि 4432281.00 रू0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 1 वाहन से वसूली गई राशि 97740.00 रू0 है।

(ख) 40 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4334541.00 रू0 है।

3. जिला परिवहन कार्यालय रोहतास (सासाराम):- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38 है जिसमें सन्निहित राशि 13242390.00 रू0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 12 वाहन से वसूली गई राशि 1831962.00 रू0 है।

(ख) 26 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11410428.00 रू0 है।

4. जिला परिवहन कार्यालय सिवानः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 96 है जिसमें सन्निहित राशि 1358119.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहन से वसूली गई राशि 95277.00 रु0 है।

(ख) 94 वाहनों पर माँग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1262842.00 रु0 है।

5. जिला परिवहन कार्यालय खगड़ियाः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 75 है जिसमें सन्निहित राशि 6953963.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 3 वाहन से वसूली गई राशि 194268.00 रु0 है।

(ख) 72 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 6542346.00 रु0 है।

(ग) दंड की राशि जो वसूलनीय नहीं है 217349.00 रु0 है।

6. जिला परिवहन कार्यालय कटिहारः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 11 है जिसमें सन्निहित राशि 1775967.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 1 वाहन से वसूली गई राशि 423816.00 रु0 है।

(ख) 2 वाहन जो अग्नि कांड में पूरी तरह नष्ट हो गया जिसका निबंधन रद्द कर दिया गया जिसकी राशि 2,57,970.00 रु0 है।

(ग) 8 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1094181.00 रु0 है।

7. जिला परिवहन कार्यालय बेगुसरायः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 80 है जिसमें सन्निहित राशि 7392270.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 15 वाहनों से वसूली गई राशि 1531257.00 रु0 है।

(ख) 65 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 5861013.00 रु0 है।

(ग) 13 वाहनों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर औपबंधिक कर प्रतीक निर्गत किया गया।

8. जिला परिवहन कार्यालय शिवहरः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 17 है जिसमें सन्निहित राशि 3117564.00 रु0 है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

9. जिला परिवहन कार्यालय लखीसरायः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 19 है जिसमें सन्निहित राशि 1753449.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 94752.00 रु0 है।

(ख) 05 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1046946.00 रु0 है।

(ग) 11 वाहनों पर माँग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 611751.00 रु0 है।

10. जिला परिवहन कार्यालय बेतियाः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 41 है जिसमें सन्निहित राशि 17258673.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 29 वाहनों से वसूली गई राशि 10153913.00 रु0 है।

(ख) 01 वाहन (बीआर-22ए/4287) का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2002 को निर्गत किया गया है जिसपर 404436.00 रु0 बकाया दर्शाया गया है। जो नियमानुसार सही नहीं है। इस पर 10558349.00 रु0 की प्राप्ति हो चुकी है जिसपर अर्थदंड के रुप में 1722832.00 रु0 है। जो नियमानुसार वसूलनीय नहीं है। इस प्रकार 12281181.00 रु0 की वसूली हुई है।

(ग) 11 वाहनों पर माँग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4977492.00 रु0 है।

11. जिला परिवहन कार्यालय शेखपुराः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 5 है जिसमें सन्निहित राशि 30000.00 रु0 है। सभी वाहनों से वसूली हो चुकी है।

12. जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुरः- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 83 है जिसमें सन्निहित राशि 21701071.00 रु0 है। जिसकी स्थिती

निम्नवत् है:-

(क) 13 वाहनों से वसूली गई राशि 1361203.00 रु0 है।

(ख) 70 वाहनों पर मांग पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 20339868.00 रु0 है।

13. **जिला परिवहन कार्यालय बक्सर:-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38 है जिसमें सन्निहित राशि 12118473.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 12 वाहनों से वसूली गई राशि 2862500.00 रु0 है।

(ख) 26 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 9255973.00 रु0 है।

14. **जिला परिवहन कार्यालय बाँका:-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 6 है जिसमें सन्निहित राशि 1676607.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 520617.00 रु0 है।

(ख) 4 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1155990.00 रु0 है।

15. **जिला परिवहन कार्यालय भोजपुर:-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 45 है जिसमें सन्निहित राशि 17332380.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 8 वाहनों से वसूली गई राशि 3906144.00 रु0 है।

(ख) 37 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 13426236.00 रु0 है।

16. **जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा:-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 29 है जिसमें सन्निहित राशि 14460436.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 5 वाहनों से वसूली गई राशि 2791566.00 रु0 है।

(ख) 24 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11668870.00 रु0 है।

17. **जिला परिवहन कार्यालय छपरा:-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 10 है जिसमें सन्निहित राशि 115100.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 1 वाहनों से वसूली गई राशि 253060.00 रु0 है।

(ख) 9 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 862040.00 रु0 है।

18. **जिला परिवहन कार्यालय जमुई:-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 119 है जिसमें सन्निहित राशि 10360461.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 9 वाहनों से वसूली गई राशि 1226390.00 रु0 है।

(ख) 105 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 9131171.00 रु0 है।

(ग) 5 वाहनों पर अमापत्ति प्रमाण निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2900.00 रु है।

---

19. जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 27 है जिसमें सन्निहित राशि 10794050.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 7 वाहनों से वसूली गई राशि 2637799.00 रु0 है।

(ख) 20 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 8156251.00 रु0 है।

20. जिला परिवहन कार्यालय गया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 59 है जिसमें सन्निहित राशि 12626652.00 रु0 है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

21. जिला परिवहन कार्यालय मुंगेर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 57 है जिसमें सन्निहित राशि 987898982.00 रु0 है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया है.

22. जिला परिवहन कार्यालय कैमुर(भभुआ):- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38(वास्तव में 37) है जिसमें सन्निहित राशि 18215337.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 13 वाहनों से वसूली गई राशि 5760951.00 रु0 है।

(ख) 23 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11656950.00 रु0 है।

(ग) 01 वाहन (बीआर-45जी/094) जिसका निबंधन ट्रक के रुप में नहीं है राशि 253809.00 रु0 है।

(घ) 01 वाहन का अभिलेख कर माफी हेतु विभाग को भेजा गया है जिसकी राशि 74,902.00 रू0 है। उसे विभागीय आदेश सं0-2252 दिनांक 11.04.08 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसे निष्पादित समझा जाय ।

23. जिला परिवहन कार्यालय वैशाली:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 15 है जिसमें सन्निहित राशि 1661750.00 रु0 है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

24. जिला परिवहन कार्यालय मोतिहारी:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 68 है जिसमें सन्निहित राशि 9835313.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 5 वाहनों से वसूली गई राशि 742851.00 रु0 है।

(ख) 60 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 8660606.00 रु0 है।

(ग) 01 वाहन पर जिला परिवहन पदाधिकारी वैशाली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। जिसका राशि 149613.00 रु0 है।

(घ) 2 वाहन जिसका अंकेक्षण दल के द्वारा गलत वाहन संख्या अंकित किया गया है (बीआर-05एपी/0819) जिसकी राशि 137724.00 एवं (बीआर-05एपी/2815) जिसकी राशि 144519.00 रु0 है। कुल दोनो वाहनों का योग 282243.00 रु0 है।

25. जिला परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 36 है जिसमें सन्निहित राशि 9059381.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 499071.00 रु0 है।

(ख) 30 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 7602119.00 रु0 है।

(ग) 3 वाहन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दायर किया गया की राशि 593790.00 रू0 है ।

(घ) 1 वाहन पर कर भुगतान की राशि 364401.00 रू0 है ।

26. जिला परिवहन कार्यालय नालंदा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 26 है जिसमें सन्निहित राशि 7904630.00 रु0 (वास्तविक राशि 7784630.00) है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 8 वाहनों से वसूली गई राशि 3434924.00 रु0 है।

(ख) 18 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4349706.00 रु0 है।(कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की राशि जोड़ने के उपरांत ही 120000.00 रू0 अधिक अंकित हो गया है)

27. जिला परिवहन कार्यालय सहरसा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 6 है जिसमें सन्निहित राशि 1676607.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहन जिसका कर प्रतीक निर्गत किया गया की राशि 5,20,617.00 रु0 है।

(ख) 4 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 11,55,990.00 रु0 है।

28. जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 253 है जिसमें सन्निहित राशि 1,55,53,502.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 24 वाहनों से वसूली गई राशि 17,20,992.00 रु0 है।

(ख) 229 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 1,38,32,512.00 रु0 है।

29. जिला परिवहन कार्यालय सुपौल:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 135 है जिसमें सन्निहित राशि 7367254.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 58 वाहनों को जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 356 दिनांक 16.06.2011 के द्वारा आर.टी.ए. सहरसा को निलामपत्र वाद दायर करने के लिए भेजा गया जिसकी राशि 3930022.00 रू0 है ।

(ख) 36 वाहनों को जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 355 दिनांक 16.06.2011 के द्वारा जिला निलामपत्र वाद पदाधिकारी, सुपौल को निलामपत्र वाद दायर करने के लिए भेजा गया जिसकी राशि 1099569.00 रू0 है ।

(ग) 1 वाहन (बी.आर.-50/0286) दो बार अंकित हो गया है(क्रमांक 108 पर)

जिसकी राशि 63,882.00 रू0 है ।

(घ) 3 वाहन जिसमें दो मोटरसाईकिल एवं एक स्कूटर है (बी.आर.-50/1294) जिसकी राशि 27,630.00(क्रमांक-32 पर), बी.आर.-50/7860 जिसकी राशि 73,500.00 (क्रमांक 40 पर) तथा बी.आर.-50/0412 जिसकी राशि 7,353.00 (क्रमांक 115 पर) । तीनों का योग 1,08,483 रू0 है ।

(ड़) 3 वाहन का अद्यतन कर भुगतान की राशि 1,30,297.00 रू0 है (जो क्रमांक-45, 52 एवं 71 पर है)

(च) 32 वाहन स्वामियों के द्वारा सर्वक्षमा योजना के तहत जमा राशि 18,94,304.00 रू0 है जिसमें से 1,60,000 की राशि क्षमा की गयी ।

(छ) 2 वाहन पर अंकेक्षण के पूर्व हीं निलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 1,40,697.00 रू0 है ।

(ज) 94 वाहनों पर निलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 50,29,591.00 रू0 है ।

30. **जिला परिवहन कार्यालय जहानाबादः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 54 है जिसमें सन्निहित राशि 9324015.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 6 वाहनों से कर भुगतान की राशि 2527680.00 रु0 है।

(ख) 36 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4933578.00 रु0 है।

(ग) 2 वाहन जिसका पथ कर गया परिवहन कार्यालय में जमा किया जा रहा है (क्रमांक-1 एवं 3 पर अंकित वाहन) जिसकी राशि 9,33,408.00 रू0 है ।

(घ) 1 वाहन (क्रमांक 11 पर अंकित है का वाहन संख्या-बी.आर.-25/5556) जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा काको थाना में पकड़कर रखा गया है जिसकी राशि 3,89,439.00 रू0 है ।

(ड़) 7 वाहन जिसका एकमुश्त कर भुगतान कर दिया गया है की राशि 3,60,000.00 रू0 है ।

(च) 1 वाहन (बी.आर.-25/725 जो क्रमांक 43 पर अंकित है, जो ऑटो रिक्शा है) जिसकी राशि 60,000.00 रू0 है ।

(छ) 1 वाहन (बी.आर.-25/3487) जो क्रमांक 49 एवं 25 पर है जो दोबारा अंकित हो गया है की राशि 60,000.00 रू0 है ।

31. **जिला परिवहन कार्यालय पटनाः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 142 है जिसमें सन्निहित राशि 4,94,80,641.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 4 वाहनों से वसूली गई राशि 11,73,390.00 रु0 है।

(ख) 125 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4,24,19,237.00 रु0 है।

(ग) 13 वाहनों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में औपबंधिक कर निर्गत किया गया ।

32. **जिला परिवहन कार्यालय मधुबनीः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 21 है जिसमें सन्निहित राशि 8311199.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 2 वाहनों से कर भुगतान की राशि 319746.00 रु0 है।

(ख) 19 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 7991453.00 रु0 है।

33. **जिला परिवहन कार्यालय किशनगंजः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 16 है जिसमें सन्निहित राशि 823800.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 12 वाहनों से वसूली गई राशि 659484.00 रु0 है।

(ख) 04 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 164316.00 रु0 है।

34. **जिला परिवहन कार्यालय मधेपुराः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 70 है जिसमें सन्निहित राशि 7222962.00 रु0 है।सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

35. **जिला परिवहन कार्यालय औरंगाबादः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 43 है जिसमें सन्निहित राशि 6442968.00 रु0 है। सभी वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया।

36. **जिला परिवहन कार्यालय अरवलः-** कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 09 हैं जिसमें सन्निहित राशि 375036.00 रु0 है। परन्तु वास्तविक राशि 387706.00 है। जिसका वाहन वार स्थिति निम्नवत् है:-

क. बीआर-56/0211 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 59499.00 रु0 है। जिसमें से 18670.00 रु0 की वसूली की गई शेष राशि 40829.00 रु0 पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया।

ख. बीआर-56/0174 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 63000.00 रु0 जिसमें से 16600.00 रु0 की वसूली की गई शेष राशि 46400.00 रु0 पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

ग. बीआर-56/0205 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 56004.00 रु0 जिसमें से 6095.00 रु0 की वसूली की गई शेष राशि 49909.00 रु0 पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

घ. बीआर-56/0365 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 23041.00 रु0 जिसमें से 13577.00 रु0 की वसूली की गई शेष राशि 9464.00 रु0 पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

ङ0. बीआर-56/0263 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 12417.00 रु0 जिसमें से 6435.00 रु0 की वसूली की गई शेष राशि 5982.00 रु0 पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

च. बीआर-56/0420 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 6207.00 रु0 है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

छ. बीआर-56/0288 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 42000.00 रु0 है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

ज. बीआर-56/0172 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 56604.00 रु0 है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

झ. डब्लुबी-15ए/5424 जिसकी आपत्तिग्रस्त राशि 68934.00 रु0 है जिसपर पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22.9.2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निर्देश के साथ कि वसूली संबंधी जो प्रक्रियाएं चलाई गई है उसके फलाफल से समिति को अवगत कराती जाय, विभागीय जवाब तथा प्रधान महालेखाकार की सहमति के आलोक में निष्पादित किया गया ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2007–08 की कंडिका 4.3 पृष्ठ 39–40 पर द्रष्टव्य ।

4.3 ट्रेलरो के विरुद्ध कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रेलरों के मालिकों को विहित दर पर पथ कर तथा अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करना है। उपरोक्त अधिनियम यह भी प्रावधित करता है कि कृषि कार्य के परिवहन में उपयोग किए गए एक मोटर वाहन को सिर्फ कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना नहीं माना जाएगा। समय पर कर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को माँग का सृजन तथा तदनुसार कर की वसूली करनी है। अगर कर के भुगतान में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हो तो देय कर की राशि के दुगुनी दर पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, [illegible], मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, [illegible] रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली।

अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, बेगुसराय, भागलपुर, [illegible] दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, [illegible] मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, [illegible] शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली।

दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच छः जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 421 ट्रेलरों के मालिको ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, फिर भी विभाग ने दोषी वाहन मालिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की माँग का सृजन नहीं किया था। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 2.46 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. **जिला परिवहन कार्यालय, पटनाः-** कुल 181 ट्रेलर आपतिग्रस्त है, सन्निहित राशि 1,23,85,082.00 रूपये है । उक्त में से 33 वाहनों द्वारा 22,87,735.00 रूपया एकमुश्त कर भुगतान किया गया है । शेष 148 वाहनों के विरूद्ध जिसमें सन्निहित राशि 10097347.00 रूपया है । उक्त राशि की वसूली हेतु निलाम पत्रवाद दायर किया गया है ।

2. **जिला परिवहन कार्यालय, बेतियाः-** कुल 26 ट्रेलर आपतिग्रस्त है, जिसमें सन्निहित राशि 15,37,353.00 रूपया है । 17 ट्रेलर से एकमुश्त कर 10,97,697.00 रूपये की वसूली की गई है । 09 वाहनों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि-4,99,656.00 रूपया है।

3. **जिला परिवहन कार्यालय, सीतामढ़ी** कुल 26 वाहनों आपत्तिग्रस्त के विरूद्ध 22 वाहन मालिकों पर दि0-26.03.2010 को डिमाण्ड नोटस जारी किया गया है एवं 4 वाहन मालिकों द्वारा 2,42,904.00 रूपये जमा किया गया है ।

4. जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा कुल 118 ट्रेलर आपत्तिग्रस्त में से 25 ट्रेलर से वसूल की गई राशि 10,89,689.00 तथा 93 ट्रेलर पर नीलाम पत्रवाद की राशि 64,77,278.00 रु0 है ।

5. जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी कुल आपतिग्रस्त 57 ट्रेलरों में आपत्तिग्रस्त राशि 3432408.00 रु0 है।जिसमें से 12 वाहनों द्वारा कर भुगतान किया गया जिसकी राशि 84917.00 रु0 है। शेष 45 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया।जिसकी राशि 3347491.00 है।

6. जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा कुल 45 ट्रेलर आपत्तिग्रस्त पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 27,98,988.00 रु0 है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22-9 2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि वसूली संबंधी जो प्रक्रियाएं चलाई गई हैं उसके फलाफल से समिति को अवगत करायी जाय, विभागीय जवाब तथा प्रधान महालेखाकार की सहमति के आलोक में निष्पादित किया गया ।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2007–08 की कंडिका 4.7 पृष्ठ 43 पर द्रष्टव्य ।

4.7 द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र के अनियमित निर्गमन/स्वामित्व के हस्तांरण के कारण कर की वसूली नहीं किया जाना

समय–समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक आदेशों, जिनकी अद्यतन सितम्बर 1996 में जारी किया गया है, के अनुसार कर के चोरी रोकने हेतु एक परिवहन वाहन के संबंध में विहित फीस तथा अद्यतन कर एवं व्यक्तिगत वाहन के मामले में एकमुश्त कर का भुगतान किये जाने के बाद ही संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत, मोटर वाहन के गिरवी को मंजूर/समाप्त किया जाना है।

अक्तूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर तथा पटना के निबंधन पंजी एवं कराधान पंजी के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि आठ परिवहन वाहनों के मामले में कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि की अनुमति दी गई/निर्गत की गई थी। इस चूक से न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हुआ बल्कि सितम्बर 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित 24.86 लाख रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अक्तूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को मई 2008 मे प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. **जिला परिवहन कार्यालय, पटना:-** कुल 8 आपत्तिग्रस्त वाहन मे से 3 वाहन का कर भुगतान हो चुका है । शेष 5 वाहन पर नीलाम पत्र दायर किया गया है । जिसकी राशि 1298544.00 रु0 है।
2. **जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर:-** कुल 2 आपत्तिग्रस्त वाहन है। उक्त दोनों वाहन से कर का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ।जिसकी राशि 59208.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 14.2.2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय जवाब एवं प्रधान महालेखाकार की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

(55)

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2007–08 की कंडिका 4.8 पृष्ठ 43–44 पर द्रष्टव्य ।

4.8 अतिरिक्त निबंधन फीरा की वसूली नहीं / कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक अनुक्रम से हटकर एक विशेष निबंधन संख्या के लिए आवेदन करता है तब 100 रुपये का अतिरिक्त फीस आरोपित किया जाएगा। बिहार सरकार ने जून 2003 मे एक अधिसूचना के द्वारा अतिरिक्त फीस की दर को प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये पुनरीक्षित कर दिया। [illegible] अधिसूचना उसमें विनिर्दिष्ट विशेष निबंधन संख्या के लिए 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त फीस भी निर्धारित करता है।

मई 2006 तथा फरवरी 2008 के बीच पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[a] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि जून 2003 और नवम्बर 2006 के बीच निबंधित 101 वाहनों से अतिरिक्त निबंधन फीस या तो वसूल नहीं की गई थी अथवा इसकी वसूली पुनरीक्षण से पूर्व की दर पर की गई थी। इसके फलस्वरूप 5.24 लाख रुपये के अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मई 2006 तथा फरवरी 2008 के बीच कहा कि बकाये की वसूली हेतु वाहन मालिकों को माँग पत्र [illegible] किया जाएगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को अप्रैल तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका मे आरा, अररिया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं शिवहर जिला परिवहन कार्यालय अंतर्निहित है ।

1. **जिला परिवहन कार्यालय, शिवहर**:- इस जिले मे कुल 21 वाहनो का मामला है। जिसमे से कमांक 4 पर अंकित वाहन से 5000.00 रु0 जमा कराया गया । कमांक 9 एवं 21 पर अंकित वाहन का वर्ष 2003 के पूर्व ही मनपसंद शुल्क जमा किया गया । शेष 18 वाहनो का मनपसन्द नम्बर रद्द कर सामान्य नम्बर आवंटित किया गया ।

2. **जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर**:- कुल 06 आपत्तिग्रस्त वाहनो मे सन्निहित राशि 30,000.00 रु0 है। वाहन स्वामियो पर उक्त राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्रवाद दायर किये गये है ।

3. **जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर**:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनो की संख्या 7 है जिसमे सन्निहित राशि 34900.00 रु0 है। उक्त सभी वाहनो पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया।

4. **जिला परिवहन कार्यालय, अररिया**:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनो की संख्या 27 है जिसमे सन्निहित राशि 135000.00 रु0 है। उक्त सभी वाहनो पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया।

5. **जिला परिवहन कार्यालय, शेखपुरा**:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनो की संख्या 5 है जिसमे सन्निहित राशि 25000.00 रु0 है , जिसके विरुद्ध 1 वाहन से वसूली गई राशि 5000.00 रु0 एवं 4 वाहनो पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 20000.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21.12.2012 की बैठक में समिति द्वारा दिए निदेश के आलोक में विभाग [illegible] राशि की वसूली कर समिति को अवगत कराने के आधार पर निष्पादित किया जाता।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2009–10 की कंडिका 4.11 पृष्ठ 58 पर द्रष्टव्य ।

4.11 परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

चार जिला परिवहन कार्यालय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 9 के तहत, लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी मोटर चलाने का लाइसेंस वैसे आवेदक को प्रदान करेंगे जिसके पास ऐसी श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए उस श्रेणी का लर्नर्स लाइसेंस हो और उसने वाहन को चलाने के लिए दक्षता जाँच उत्तीर्ण की हो। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 10 के साथ पठित धारा 7(1), जैसा कि विहित है, के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास न्यूनतम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस न हो।

हमने नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के बीच व्यावसायिक मोटर चलाने के लाइसेंस पंजियों से देखा कि वर्ष 2008–09 के दौरान 7,498 व्यावसायिक वाहन लाइसेंस वैसे आवेदकों को स्वीकृत किये गये थे जिनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इस भूल से न केवल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन के फलस्वरूप ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु वसूलनीय फीस के रूप में ₹ 15.75 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई, बल्कि इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे।

हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कर ली जायेगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया ने कहा कि सूचना निर्गत की जायेगी जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, गया और मुजफ्फरपुर ने कहा कि निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को मार्च और अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ- इस राशि की वसूली लाईसेंस के नवीकरण के तहत अबतक 3,10,000.00 (तीन लाख दस हजार) रू0 तक की वसूली कर ली गई है । शेष राशि की वसूली लाईसेंस के नवीकरण के समय की जा रही है ।

2. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर- इस राशि की वसूली लाईसेंस के नवीकरण के समय की जाती है ।

3. जिला परिवहन कार्यालय, पटना- इस कंडिका में 1266 व्यवसायिक मोटर चलाने का लाईसेंस निर्गत किया गया है, जिसमें से 96 व्यवसायिक मोटर वाहन अनुज्ञप्तिधारी से 20,160.00 रू0 की वसूली की गयी ।

4. जिला परिवहन कार्यालय, गया- वर्ष 2008-09 के दौरान प्रदत्त व्यवसायिक वाहन लाईसेंसों के नवीकरण के समय वर्तमान में नवीकरण शुल्क 50 रू0 के अतिरिक्त निजी लाईसेंस निर्गमन हेतु अनुमान्य शुल्क 140 रूपये तथा व्यवसायिक अनुज्ञप्ति हेतु लर्निंग लाईसेंस के लिए अनुमान्य 70 रूपये यानि कुल 260 रूपये का शुल्क प्राप्त किया जा रहा है । अबतक कुल 75 मामलों में शुल्क वसूली की जा चुकी है । शेष बचे मामलों में भी अनुमान्य शुल्क की वसूली की जाएगी ।